न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:—0744—2325871

GCMS NO.-2025/554

मिसल नम्बर— 78 / 2025

1.श्रीमती पुष्पा बाई पत्नि श्रीलाल नागर आयु 65 वर्ष
2.श्रीलाल पुत्र श्री मांगीलाल जी आयु 73 वर्ष निवासीगण 2 / 572 स्वामी विवेकानन्द नगर कोटा राज0

प्रार्थीगण।

बनाम

1.प्रियंका राधेश्याम नागर पत्नि राधेश्याम नागर, आयु 41 वर्ष निवासी ग्राम भाण्डाहेड़ा, तहसील दीगोद जिला कोटा हाल निवास मकान नं0 2 / 572 स्वामी विवेकानन्द नगर कोटा राज0

अप्रार्थीया।

—:निर्णय:—

(भरण—पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना—पत्र।)

दिनांक 27/2/26

उपस्थिति:—

1.श्री महेन्द्र सोनी प्रार्थीगण अधिवक्ता
2.श्री ब्रह्मानन्द शर्मा अप्रार्थीया अधिवक्ता

भरण—पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीगण पक्ष द्वारा निवेदित संक्षेपित तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थिया क्रम 1 की आयु 65 वर्ष है, तथा प्रार्थी क्रम 2 की आयु 73 वर्ष है, दोनो पति पत्नि है, जो वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आते है, तथा दोनों की वृद्धावस्था है। प्रार्थीगण के दो पुत्र व एक पुत्री है, जिनका विवाह प्रार्थीगण कर चुके है। प्रार्थिया क्रम 1 के स्वामित्व व आधिपत्य का एक मकान नं0 2 / 572 स्वामी विवेकानन्द नगर कोटा में स्थित है, जिसे कि प्रार्थिया ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 10.04.2019 को खरीद किया, जिसके विक्रय पत्र के पंजीयन की प्रति संलग्न है। अप्रार्थिया, प्रार्थीगण की पुत्र वधु है जो विवाह के पश्चात से ही प्रार्थीगण के साथ नहीं रही, अप्रार्थिया का पति, प्रार्थीगण का पुत्र राधेश्याम नागर एक सुशील, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो अमृतसर पंजाब में फार्मा कम्पनी में प्राईवेट जोब करता है। पूर्व में राधेश्याम नगर तृर्की में जोब करता था, जहां पर कि अप्रार्थीया उसके साथ रहती थी, किन्तु अप्रार्थीया का व्यवहार उसके साथ भी ठीक नहीं रहता था, आये दिन पैतृक सम्पत्ति का बंटवारा कराने की कहकर अपेन पति से लड़ाई झगड़ा करती रहती थी, उस पर लाछन लगाती थी, जिस पर प्रार्थीगण का पुत्र तुर्की की जोब छोड़कर वापास स्वदेश लौट आया व यही पर प्राईवेट जौब करने लगा। प्रार्थीगण के पुत्र के स्वदेश में जोब करने पर भी अप्रार्थीया के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया और वह प्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

की ग्राम भाण्डाहेड़ा तहसील दिगोद जिला कोटा की कृषि आराजी का बंटवारा करने को लेकर आये दिन लड़ाई झगड़ा करती रहती, जिसपर प्रार्थी क्रम 2 ने अपने दोनो पुत्रों राधेश्याम व राजाराम नागर के नाम से कृषि आराजी का बंटवारा कर कृषि आराजी दोनो के नाम से करवा दी, जिस पर प्रार्थीगण के छोटे पुत्र ने उसके नाम की हुई कृषि आराजी को दानपत्र के माध्यम से दिनांक 22.09.23 को अप्रार्थीया के नाम से दानपत्र आलेखित कर दान कर दिया। उक्त दानपत्र के माध्यम से अप्रार्थीया ने प्रार्थी क्रम 2 की पैतृक आराजी में नामान्तरण संख्या 2043 दिनांक 05.04.2024 को स्वयं के नाम से अलग खाता संख्या 574 खुलवाकर उस पर काबिज हो गई, जिस दानपत्र व जमाबन्दी की प्रति संलग्न है। अप्रार्थिया की इच्छानुसार कृषि आराजी का नामान्तरण उसके नाम खुलवाने पर भी अप्रार्थिया के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया और आये दिन प्रार्थीगण के साथ मारपीट करना, ग्रह कलेश करना, प्रार्थीगण के बड़े पुत्र राजाराम व उसकी पत्नि पर झूठे लाछन लगाना, उन्हे सौशल मीडिया पर डालना, प्रार्थीया क्रम 1 के पूजा के सामान को घर के बाहर फैक देती है, प्रार्थीगण की पानी की मटकी फौड देती है, व खाने पीने के सामान को बिखेर देती है, चौक जाल बन्द कर दिया है, जिससे नीचे हवा व रोशनी नहीं आती है व रोजाना ग्रह क्लेश कराना उसकी आदत में शुभार हो गया है। इस बाबत पुलिस थाना आर0के0 पुरम कोटा में भी अप्रार्थीया के द्वारा प्रार्थीगण के पुत्र राजाराम नागर व राधेश्याम नागर के विरूद्ध झूंठी रिपोर्ट की गई, जब कि प्रार्थीगण का पुत्र राजाराम नागर ग्राम भाण्डाहेड़ा में ही निवास करता है, उसे भी झूठी रिपोर्ट पर दौ दिन तक न्यायिक अभिरक्षा में रहना पड़ा एवं दिनांक 25.08.2025 को दोनों पुत्रों को न्यायालय में पाबन्द किया गया व राजाराम के विरूद्ध झूंठी रिपोर्ट थाने में पेश कर दी। जिसमें 2 दिन उसे न्यायिक अभिरक्षा में रखा गया। दिनांक 03.09.2025 को जब प्रार्थीगण अपने मकान में थे, तो अप्रार्थिया दो तिन असामाजिक तत्वों को जिनके नाम अप्रार्थीया का सगा भाई मोहित महीपाल उप मोहित पुत्र रामेश्वर नि0 समसपुर जिला बपरा व आनन्द निवासी रावतभाटा जिला चित्तौड़ को लेकर घर में आई व घर का दरवाजा तौड़ दिया व प्रार्थीगण के साथ मारपीट करने लगी, प्रार्थी क्रम 2 की हाथ की अगुलियों को मुह से काट दिया व जबरदस्ती लड़ाई झगड़ा कर घर की उपरी मंजिल में चली गई और अब रोजाना लड़ाई झगड़ा करती है, और कहती है, कि एक दिन दोनो बुढ़डे बुडिया को गला दबाकर जान से ही खतम कर दूगी, अप्रार्थीया के उक्त आचरण व क्रूरता प्रर्ण व्यवहार से प्रार्थीगण का सामान्य रूप से जीवनव्यतीत करना असंभव हो गया है, आये दिन अप्रार्थिया झूठे मुकदमें दर्ज करवा कर प्रार्थीगण पर मानसिक दबाव डालकर सम्पूर्ण मकान को स्वयं हडप करना चाहती है, इस हेतु उसने प्रार्थीगण की जिन्दगी, वृद्धावस्था में नारकीय बना दी, ऐसी अवस्था में प्रार्थीगण के लिये यह आवश्यक हो गया है, कि माननीय न्यायालय के माध्यम से अपनी सम्पत्ति व जीवन की सुरक्षा हेतु अप्रार्थीया के विरूद्ध उपरोक्त सम्पत्ति मकान नं0 2/572 स्वामी विवेकानन्द नगर से अप्रार्थीया को बेदखल कर अपनी सम्पत्ति व जीवन की सुरक्षा कर सके। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विनय है, कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की सम्पत्ति मकान नं0 2/572 स्वामी विवेकानन्द नगर कोटा व प्रार्थीगण के शेष बचे वृद्धावस्था जीवन की सुरक्षार्थ उक्त मकान नं0 2/572 स्वामी विवेकानन्द नगर

कोटा पुलिस थाना आर0के0 पुरम कोटा से अप्रार्थीया को बेदखल निष्कासित किये जाने का आदेश प्रदान करें, तथा प्रार्थीगण की व्यक्तिगत सुरक्षा व संरक्षण व उक्त मकान की सुरक्षा निरन्तर करवाते हुये अप्रार्थिया के विरूद्ध अत्याचार करने पर पाबन्द किये जाने व संरक्षण व उक्त मकान की सुरक्षा निरन्तर करवाते हुये अप्रार्थीया के विरूद्ध अत्याचार करने पर पाबन्द किये जाने व संरक्षण के आदेश पारित किये जाने के आदेश की पालनार्थ पुलिस थाना आर0के0 पुरम को तहरीर जारी कर पालना रिपोर्ट अविलम्ब मंगवाऐ जाने का आदेश प्रदान करे। अन्य सहायता जो न्यायोचित हो वह प्रार्थीगण को प्रदान फरमाई जावे।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीया की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। अप्रार्थीया की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र कर निवेदन किया गया है कि उक्त मकान के प्रथम फ्लोर पर अप्रार्थीया अपने पुत्र सहित शांतिपूर्वक निवास करती हुई चली आ रही है। प्रार्थीगण का पुत्र राधेश्याम नागर एक बदचलन प्रवृति का व्यक्ति है जिसने अप्रार्थीया के साथ धोखा किया है तथा राधेश्याम नागर द्वारा तुर्की में कार्यरत रहते समय एक महिला के साथ अवैध व नाजायज संबंध कायम किये है तथा अप्रार्थीया को जब उक्त राधेश्याम नागर के तुर्की स्थित महिला के साथ अवैध संबंधों की जानकारी प्रार्थीया के अपने पुत्र के साथ तुर्कि जाने पर होने के उपरान्त अप्रार्थीया ने भारत वापस आने पर प्रार्थीगण को दी तो प्रार्थीगण अप्रार्थीया एवं उसके पुत्र के प्रति क्रूर हो गये तथा यैनकेन प्रकारेण अपने पुत्र की अवैध व गैर कानूनी हरकतों को छिपाने के लिये अप्रार्थीया के साथ निरन्तर मानसिक व शारिरिक प्रताडनाये देने लगे तथा जबरन अप्रार्थीया व उसके पुत्र को उक्त मकान में से निकालने के लिये यैनकेन प्रकारेण प्रयास करने लगे, अप्रार्थीया द्वारा कभी भी किसी पैतृक सम्पत्ति के बटवारे की बात को लेकर अपने पति से झगड़ा नही किया बल्कि अप्रार्थीया के पति राधेश्याम नागर के तुर्की स्थित महिला के साथ विवाहैत्तर संबंध होने तथा अप्रार्थीया के पति राधेश्याम नागर द्वारा अप्रार्थीया को तलाक देने की धमकी देने से अप्रार्थीया व उसके पति के मध्य संबंध खराब हुये तथा प्रार्थीगण व उनके पुत्र राधेश्याम नागर व अन्य परिजनों द्वारा अप्रार्थीया के साथ शारीरिक व मानसिक क्रूरताये करने के कारण अप्रार्थीया व उसके पुत्र को उक्त मकान में से जबरन बेदखल कर दर दर की ठोकरे खाने के लिये निरन्तर प्रयासरत रहे है। प्रार्थीगण अपनी क्रूरता का कोई नाजायज लाभ प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है, प्रार्थीगण ग्राम भाण्डाहेड़ा में निवास करते है तथा प्रार्थीगण ने उक्त मकान में स्थाई तोर पर कभी निवास नहीं किया है, अप्रार्थीया व उसके पुत्र के पास रिहायश हेतु अन्य कोई आवास नहीं है और ना ही कोई भूखण्ड है। अप्रार्थीया द्वारा कभी भी ग्राम भाण्डाहेड़ा स्थित कृषि आराजी के बाबत कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया गया बल्कि अप्रार्थीया के पति राधेश्याम नागर के तुर्कि स्थित महिला के साथ अवैध संबंधों का खुलासा होने पर अप्रार्थीया के पति राधेश्याम ने स्वेच्छा से अपने पुत्र के आर्थिक हितों की रक्षा हेतु कृषि आराजी का दानपत्र किया था, अप्रार्थीया ने कभी भी कोई दानपत्र आलेखित करने हेतु अप्रार्थीया के पति को बाध्य नहीं किया, अप्रार्थीया निरन्तर एक भारतीय नारी के रूप में एक सभ्य एवं सुसंस्कृत आचरण कर अपना परिवार चलाती रही है परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपने पुत्र के बदचलन स्वभाव को दरकिनार कर अप्रार्थीया के साथ क्रूरतापूर्ण व प्रताडनापूर्ण व्यवहार कर रिहायशी मकान से बेदखल करने हेतु प्रयास

किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र के चरण क्रम 5 में वर्णित तथ्यों में विधिनुसार
नामान्तरण खुलना स्वीकार है परन्तु अप्रार्थीया को उक्त कृषि भूमि से कोई भी
आय प्राप्त नहीं होती है क्योंकि प्रार्थीगण व उनके पुत्र अप्रार्थीया को उक्त कृषि
आराजियात पर काश्त नही करने देते थे। प्रार्थीगण व उनके पुत्र राजाराम व
राधेश्याम नागर ने आपराधिक षडयन्त्र कर यैनकेन प्रकारेण अप्रार्थीया व उसके
पुत्र को उनके उक्त रिहायशी मकान से बेदखल करने व दर दर की ठोकरे खाने
हेतु मजबूर करने के लिये निरन्तर क्रूरतापूर्ण व प्रताडनापूर्ण कृत्य किये गये,
अप्रार्थीया द्वारा कभी भी न तो कोई झुठे लांछन लगाये गये ओर ना ही प्रार्थीया
नं–1 के किसी पूजा के सामान को फेंका, ना ही कभी पानी की मटकी फोडी ओर
ना ही कभी खाने के सामानों को बिखेरा, अप्रार्थीया ने कभी भी कोई ग्रह कलेश
नही किया बल्कि अप्रार्थीया व उसके पुत्र को जबरन डंडे के बल पर उक्त मकान
से बाहर निकालने का प्रयास करने, जान से मारने की धर्मकियां देने पर दिनांक
25.08.2025 को राधेश्याम नागर व राजाराम नागर को थाना आर के पुरम पुलिस
द्वारा गिरफ्तार किया गया पश्चात दिनांक 31.08.2025 को पुनः प्रार्थीगण के पुत्र
राजाराम द्वारा अप्रार्थीया को घर में न घुसनें देने व जान से मारने की धमकी देने
पर थाना आर के पूरम कोटा द्वारा गिरफ्तार किया गया इस प्रकार प्रार्थीगण अपने
पुत्रो को आगे कर अप्रार्थीया जैसी अबला नारी को उसके पुत्र के साथ घर से
बेदखल कर दर दर की ठोकरे खाने पर मजबूर कर देना चाहते है क्योंकि
अप्राथीया द्वारा अपने पति व प्रार्थीगण के पुत्र के तुर्की स्थित महिला के साथ
अवैध व नाजायज सम्बंधो का खुलासा होंने पर अप्रार्थीया द्वारा प्रार्थीगण से अपने
पुत्र को समझाने की कहने पर अप्रार्थीया से रंजिश रखने लगे है तथा अप्रार्थीया
को घर से बेदखल कर देना चाहते है। प्रार्थीगण अपने पुत्र का विवाह कर
अप्रार्थीया को लेकर आये है तथा प्रार्थीगण का विधिक दायित्व उनके पूत्र के अवैध
व गैर कानूनी सम्बंधो का विरोध करने व अप्रार्थीया को शांतिपूर्वक उक्त मकान में
निवास करने देने का है, प्रार्थीगण को अप्रार्थीया व उसके पुत्र को उक्त निवास
स्थान से बेदखल करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही है। दिनांक 03.09.
2025 को कभी भी अप्रार्थीया का भाई मोहित व आनन्द व अन्य कोई व्यक्ति न तो
मकान पर आये ओर ना ही किसी प्रकार की कोई तेडफोंड या मारपीट की बल्कि
अप्रार्थीया जब दिनांक 03.09.2025 को सायं 7:00 बजे करीब कुछ सामान खरीदने
घर के दरवाजे पर आई उसी समय प्रार्थी क्रम–2 ने अप्रार्थीया को जोर से पकड
लिया तथा अप्रार्थीया के शरीर को गलत तरीके से छुआ तथा जबरन पकड कर
कहने लगा कि अन्दर कमरे में चल मैं आज तुझे बताता हूं कि मर्द क्या होंता है,
अप्रार्थीया ने बड़ी मुश्किल से अपने आपको छुडाया तथा भागकर अपने कमरे में
जाकर दरवाजा बंद किया वरना प्रार्थी नं–2 अप्रार्थीया की इज्जत के साथ
खिलवाड करता, उक्त घटना का विडियो भी बना हुआ है जो प्रार्थीगण की झूठी व
मनगढत कहानियो की सत्यता को उजागर करने के लिये पर्याप्त है। अप्रार्थीया ने
उक्त घटना के बाबत एक परिवाद अन्तर्गत धारा 173(4) भारतीय नागरिक रारक्षा
संहिता श्रीमान पलिस अधीक्षक महोदय कोटा शहर को भी प्रेषित किया था इरके
अतिरिक्त अप्रार्थीया द्वारा एक परिवाद अन्तर्गत धारा 85, 316(2),318(1) भारतीय
न्याय संहिता के तहत भी श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय कोटा शहर को भी
प्रेषित किया था इसके अतिरिक्त अप्रार्थीया के साथ कारित घरेलू हिंसा की

उपखण्ड अधिकारी कोटा

घटनाओ के बाबत् एक प्रार्थना पत्र न्यायालय अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-3 कोटा के समक्ष बउनवान श्रीमती प्रियंका राधेश्याम नागर बनाम राधेश्याम वगैरा प्रस्तुत किया हुआ है जो वर्तमान में न्यायालय में जेरकार है। प्रार्थीगण को अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई कारण उत्पन्न नही हआ हे क्योंकि प्रार्थीगण व उनके पुत्र राधेश्याम व राजाराम व अन्य परिजनों द्वारा अप्रार्थीया के साथ क्रूरतापूर्ण व प्रताडनापूर्ण व्यवहार किया जाता रहा है तथा प्रार्थीगण अपनी क्रूरता व प्रताडना के आधार पर अप्रार्थीया को जबरन उक्त मकान से बेदखल करने पर आमादा है। प्रार्थना पत्र मिथ्या, असदभाविक एवं मनगढंत तथ्यो पर आधारित होने से खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थीया का विवाह होने के पश्चात अप्रार्थीया अपने पति राधेश्याम के साथ उसके कार्यस्थलों बड़ोदरा ओर ओरंगाबाद भी रही तदुपरान्त प्रार्थीगण का पुत्र राधेश्याम तुर्की में जोब करने के लिये माह जुलाई 2015 में तुकी चला गया तदपुरान्त सन् 2019 में आप्रार्थीया व उसका पुत्र मकान न-2/572 स्वामी विवेकानन्द नगर कोटा में प्रथम फ्लोर पर एक कमरा, किचन, लेटबाथ पोर्च व ऑपनहोल में शांतिपूर्वक निवास कर रहे है। प्रार्थीगण के पुत्र व अप्रार्थीया के पति राधेश्याम के तुर्की में जोब करने के दौरान व्यवहार में असामान्य परिवर्तन आ गया तथा प्रार्थीगण का पुत्र राधेश्याम ने अप्रार्थीया व उसके पुत्र पर ध्यान देना बंद कर दिया तथा अप्रार्थीया व उसके पूत्र को पाई पाई के लिये तरसाने लगा, अप्रार्थीया के पुत्र को रोजमर्रा का खर्चा भी अप्रार्थीया द्वारा बामुश्कल अन्य लोगो से मांग कर किया जाता तदुपरान्त मार्च 2022 में अप्रार्थीया का पति राधेश्याम अप्रार्थीया व उसके पुत्र को तुर्की ले गया तथा अप्रार्थीया व उसके पुत्र की सहमति के बिना ही मई 2022 में ही वापस भारत छोड़ गया इस दौरान अप्रार्थीया के पति राधेश्याम द्वारा अप्रार्थीया व उसके पुत्र से कोई वास्ता नहीं रखा गया। माह मार्च 2023 में अप्रार्थीया के पति राधेश्याम अप्रार्थीया व उसके पुत्र को पूनः तुर्की लेकर गया तथा वहां पर अप्रार्थीया के पति राधेश्याम के पास एक हेल नामक महिला का फोन निरन्तर आता तथा उसके द्वारा निरन्तर अप्रार्थीया के पति को मैसेज किये जाते अप्रार्थीया के पति व हेल के मध्य बढ़ी हुई नजदीकिया देखकर अप्रार्थीया ने दिनांक 15.06.2023 को अप्रार्थीया के पति को उक्त हेल नामक महिला के साथ मोबाईल फोन पर चौटिंग करते हुये देखा तो अप्रार्थीया के पति राधेश्याम ने अपना मोबाईल तुरन्त बंद कर दिया फिर अप्रार्थीया ने अप्रार्थीया के पति राधेश्याम से फोन का पासवर्ड बताने को कहा तो अप्रार्थीया के पति राधेश्याम ने चालाकी से सारे मैरसेज डीलिट कर दिये तथा अप्रार्थीया को धमकाया कि वह अप्रार्थीया को तलाक देगा तथा उक्त हेल नामक महिला से विवाह करेगा। तुर्की रहने के दौरान अप्रार्थीया के पति राधेश्याम के उक्त हेल नामक महिला के साथ अवैध व नाजायज सम्बंधो का विरोध करने पर अप्रार्थीया के पति द्वारा प्रताडित करने पर अप्रार्थीया अपने पुत्र सहित तुकी से वापस भातर आ गई तथा उक्त समस्त जानकारी प्रार्थीगण को देकर अप्रार्थीया के पति राधेश्याम के अनैतिक आचरण के बाबत बताने पर प्रार्थीगण उत्तेजित हो गये तथा उसके पश्वात से ही निरन्तर अप्रार्थीया व उसके पुत्र को उक्त निवास स्थान से यैनकेन प्रकारेण बेदखल करने हेतु अवैध व गैर काननी रूप से प्रयासरत है जिसका कि कोई विधिक अधिकार प्रार्थीगिण को प्राप्त नही है। प्रार्थीगण अपने पूत्र व अप्रार्थीया के पति राधेश्याम के अनैतिक व अमर्यादित आचरण को नजरअदाज

न्यायालय उपखण्ड ... उपखण्ड अधिकारी कोटा

कर अप्रार्थीया द्वारा अपने पति की शिकायत प्रार्थीगण से करने के पश्चात से ही प्रार्थीगण ने अप्रार्थीया व उसके पूत्र की नाक में दम कर रखा है तथा शांतिपूर्वक जीवन नही जीने दे रहे है। उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण भी केवल मात्र अप्रार्थीया को यैनकेन प्रकारेण प्रताडित करने का ही है, अप्रार्थीया व उसके पुत्र के पास रिहायश हेतु अन्यत्र कोई स्थल नही है जबकि उक्त मकान के ग्राउण्ड फ्लोर पर प्रार्थीगण का दूसरा पुत्र राजाराम मय परिवार निवास करता है, तथा प्रार्थीगण ग्राम भाण्डाहेडा स्थित मकान में निवास करते है। केवल मात्र अप्रार्थीया को परेशान करने की बदनियति से उक्त प्रार्थना पत्र प्ररतुत किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण अपने व अपने पुत्र के कूकृत्यों का नाजायज लाभ प्राप्त कर अप्रार्थीया व उसके पुत्र कों उक्त मकान से बेदखल करवाने के अधिकारी नही है। अप्रार्थीया व उसका पुत्र शांतिपूर्वक तरीके से उक्त मकान में प्रथम फ्लोर पर निवास कर रहे है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीया मय हर्जा–खर्चा खारिज किये जाने का आदेश प्रदान करें।

बहस वास्ते नियत की गई। उभयपक्षं की ओर से अपने अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराया गया। प्रार्थीगण की ओर से अपने पक्ष में फर्द दस्तावेज फोटो कॉपी रजिस्ट्री श्रीमति पुष्पा बाई, दान पत्र बहक प्रियंका, जमाबंदीं, इस्तगासा दिनांक 25.08.2025 एवं दिनांक 30.08.2025 पेश किया। अप्रार्थीया की ओर से पेन ड्राईव, फोटो कॉपी राधेश्याम नागर द्वारा फेमिली ग्रुप में किया गया मैसेज, फोटो कॉपी तुर्की स्थित महिला के प्रार्थीया के मोबाईल पर भेने गये मैसेजे, पुलिस अधीक्षक को दिया गया परिवाद पेश किया गया।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया। प्रार्थीगण की ओर से कथन किया गया है कि अप्रार्थीया पैतृक सम्पत्ति का बंटवारा कराने की कहकर अपेन पति से लड़ाई झगड़ा करती रहती थी। अप्रार्थीया प्रार्थीगण के साथ लड़ाई झगड़ा करती, प्रार्थीगण के पुत्र राजाराम एवं रोधश्याम नागर के विरूद्ध झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाती है। अप्रार्थीया के उक्त आचरण व क्रूरता प्रर्ण व्यवहार से प्रार्थीगण का सामान्य रूप से जीवनव्यतीत करना असंभव हो गया है, आये दिन अप्रार्थिया झूठे मुकदमें दर्ज करवा कर प्रार्थीगण पर मानसिक दबाव डालकर सम्पूर्ण मकान को स्वयं हडप करना चाहती है, इस हेतु उसने प्रार्थीगण की जिन्दगी, वृद्धावस्था में नारकीय बना दी। प्रार्थीगण के उक्त कथनों का खण्डन करते हुये अप्रार्थीया की ओर से कथन किया है कि प्रार्थीगण का पुत्र राधेश्याम नागर एक बदचलन प्रवृति का व्यक्ति है जिसने अप्रार्थीया के साथ धोखा किया है तथा राधेश्याम नागर द्वारा तुर्की में कार्यरत रहते समय एक महिला के साथ अवैध व नाजायज संबंध कायम किये है। अप्रार्थीया के पति राधेश्याम नागर के तुर्की स्थित महिला के साथ विवाहैत्तर संबंध होने तथा अप्रार्थीया के पति राधेश्याम नागर द्वारा अप्रार्थीया को तलाक देने की धमकी देने से अप्रार्थीया व उसके पति के मध्य संबंध खराब हुये तथा प्रार्थीगण व उनके पुत्र राधेश्याम नागर व अन्य परिजनों द्वारा अप्रार्थीया के साथ शारीरिक व मानसिक क्रूरताये करने के कारण अप्रार्थीया व उसके पुत्र को उक्त मकान में से जबरन बेदखल कर दर दर की ठोकरे खाने के लिये निरन्तर प्रयासरत रहे है। दिनांक 03.09.2025 को सायं 7:00 बजे अप्रार्थीया कुछ सामान खरीदने घर के

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

दरवाजे पर आई उसी समय प्रार्थी क्रम 2 ने अप्रार्थीया को जोर से पकड लिया तथा अप्रार्थीया के शरीर को गलत तरीके से छुआ तथा जबरन पकड लिया, अप्रार्थीया ने बड़ी मुश्किल से अपने आपको छुडाया तथा भागकर अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद किया वरना प्रार्थी नं0 2 अप्रार्थीया की इज्जत के साथ खिलवाड करता, उक्त घटना का विडियो भी बना हुआ है।

अप्रार्थीया द्वारा अपने कथनों के समर्थन में पैन ड्राईव प्रस्तुत किया है। पैन ड्राईव को साक्ष्य के रूप से ग्राह्य तो नही किया जा सकता है परन्तु न्यायालय के अभिमत के निर्धारण में सुविधा तथा न्याय निर्णयन के लिए मार्गदर्शन जरूर लिया जा सकता है। अप्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत पैन ड्राईव के अवलोकन से अप्रार्थीया द्वारा किये गये कथन उचित प्रतीत होते है कि प्रार्थी क्रम 2 ने अप्रार्थीया को जोर से पकड लिया तथा अप्रार्थीया के शरीर को गलत तरीके से छुआ तथा जबरन पकड लिया, अप्रार्थीया ने बड़ी मुश्किल से अपने आपको छुडाया तथा भागकर अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद किया। अप्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत फोटो कॉपी राधेश्याम नागर द्वारा फेमिली ग्रुप में किया गया मैसेज, फोटो कॉपी तुर्की स्थित महिला के प्रार्थीया के मोबाईल पर भेजे गये मैसेजे के अवलोकन से भी अप्रार्थीया द्वारा किये गये कथन उचित प्रतीत होते है कि अप्रार्थीया एवं अप्रार्थीया के पति राधेश्याम के मध्य संबंध मधुर नही है। अप्रार्थीया की ओर से पेश इस्तगासा दिनांक 25.08.2025 एवं दिनांक 30.08.2025 के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण व उनके पुत्र राधेश्याम व राजाराम व अन्य परिजनों द्वारा अप्रार्थीया के साथ क्रूरतापूर्ण व प्रताडनापूर्ण व्यवहार किया जाता रहा है तथा प्रार्थीगण अपनी क्रूरता व प्रताडना के आधार पर अप्रार्थीया को जबरन उक्त मकान से बेदखल करने पर आमादा है।

कानूनन वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम के माध्यम से मात्र पुत्र, पुत्री, पौत्र एवं पौत्री से अनुतोष चाहा जा सकता है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अपने पुत्र को पक्षकार नही बनाकर केवल मात्र अपनी पुत्रवधु के विरूद्ध पेश किया है जिस कारण से भी प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भरण पोषण अधिनियम स्वीकार कर किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

उक्त निर्णय आज दिनांक 27/2/26 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा